



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2011/ज्येष्ठ 30, 1933

No. 328]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2011/JYAISTHA 30, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2011

सा.का.नि. 468(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि विभाग और सहकारिता सहायक आयुक्त (वानिकी) भर्ती नियम, 1984 और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समूह "ख" (वानिकी) अधिकारी भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सहायक आयुक्त (वानिकी), तकनीकी अधिकारी (वानिकी) श्रेणी-I, तकनीकी अधिकारी के (वानिकी) श्रेणी-II और अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, तकनीकी पद (वानिकी) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

| अनुसूची | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. सहायक आयुक्त (वानिकी) | 1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. (ग्रेड वेतन 6600 रु.) | चयन | लागू नहीं होता |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ | | | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | |
| (7) | | | (8) | (9) | |
| लागू नहीं होता | | | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | |

| | |
|---|---|
| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
| (10) | (11) |

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है।

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2; 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए में ऐसा तकनीकी अधिकारी (वानिकी) श्रेणी-I जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या सँक्रिया अनुसंधान अथवा वानिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा गणित शास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा कृषि-विज्ञान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा वानिकी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ii) वानिकी अथवा कृषि कार्य से संबंधित विविध कार्यक्रमों के आयोजन और प्रक्रिया में पांच वर्ष का अनुभव।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पॉक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (जिसके अंतर्गत सविदा भी है) इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत (अल्पकालिक सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक सविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित किया गया है, जो पूर्व में किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अनधिक पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-

पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- | | |
|---|----------|
| i. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| ii. संयुक्त सचिव (प्रशासन) पर्यावरण और वन मंत्रालय | —सदस्य |
| iii. निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन)-पर्यावरण और वन मंत्रालय | —सदस्य |
| iv. उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय | —सदस्य |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------------------|--|---|--|----------|----------------|
| 2. तकनीकी अधिकारी (वानिकी) श्रेणी-1 | 3* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. (ग्रेड वेतन 4800 रुपए) | चयन | लागू नहीं होता |
| | (7) | | (8) | (9) | |
| | लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | कुछ नहीं | |
| | (10) | | (11) | | |

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है।

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2; 9300-34800 रुपए + ग्रेड II वेतन 4600 रुपए में ऐसा तकनीकी अधिकारी (वानिकी) श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवाधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी, कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(11)

- (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदस्य पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है; या समतुल्य; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या सक्रिया अनुसंधान सक्रियाओं अथवा वानिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा गणित शास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा कृषि-विज्ञान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा वानिकी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
- (ii) वानिकी कार्य अथवा कृषि विज्ञान पर डाटा के एकत्रण अथवा समेकन अथवा विश्लेषण का तीन वर्ष का अनुभव।
- (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक सविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अनधिक पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-

- i संयुक्त सचिव (प्रशासन) पर्यावरण और वन मंत्रालय —अध्यक्ष
- ii निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन)-पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य
- iii निदेशक (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भारसाधक)/उप सचिव (भारतीय वन सेवा प्रभाग का प्रभारी) पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य

(13)

प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------------------------------|---|---|--|-----|---|
| 3. तकनीकी अधिकारी (वानिकी) श्रेणी-II | 15* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. (ग्रेड वेतन 4600 रुपए) | चयन | तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए समय-समय पर अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। |

| (7) | (8) | (9) |
|---|----------------|--|
| अनिवार्य : | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |
| (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी अथवा अनुसंधान कार्यों अथवा वानिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा गणित शास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा कृषि-विज्ञान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा वानिकी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। | | |
| (ii) वानिकी कार्य अथवा कृषि विज्ञान पर डाटा सहित डाटा के संग्रहण अथवा समेकन अथवा विश्लेषण का 2 वर्ष का अनुभव। | | |
| टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार वहां उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती हैं। | | |
| टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | |

(10)

40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है।
60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2; 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में ऐसा अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति को सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। जिसके अंतर्गत सविदा भी है) इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां

एक से अनधिक पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए :-

- | | |
|--|----------|
| i. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पर्यावरण और वन मंत्रालय | —अध्यक्ष |
| ii. निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन), पर्यावरण और वन मंत्रालय | —सदस्य |
| iii. निदेशक (भारतीय वन सेवा प्रभाग का प्रभारी)/उप सचिव (भारतीय वन सेवा प्रभाग का प्रभारी), पर्यावरण और वन मंत्रालय | —सदस्य |

(13)

सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय (जिसमें अल्पकालिक सविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------------|---|--|--|----------------|--|
| 4. अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी) | 11* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रुपए | लागू नहीं होता | तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। |

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी अथवा अनुसंधान कार्य अथवा वानिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा गणित शास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा कृषि-विज्ञान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री

(8)

लागू नहीं होता

(9)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(7)

अथवा वानिकी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

- (ii) वानिकी कार्य अथवा कृषि विज्ञान पर डाटा सहित डाटा के संग्रहण अथवा समेकन अथवा विश्लेषण का 1 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार वहां उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10)

सीधी भर्ती :

पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात् :

- (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए +ग्रेड वेतन 2800 रु. वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है या समतुल्य; और
(ख) जिनके पास स्तम्भ ' ' के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं हैं।

(11)

लागू नहीं होता

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: पुष्टि पर विचार करने के लिए :-

- i. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय —अध्यक्ष
ii. निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन)-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय —सदस्य
iii. निदेशक (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भारसाधक)/उप सचिव (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भार साधक), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12011/1/2009-पी-1]

मोहन लाल वाधवानी, अवर सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2011

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Department of Agriculture and Cooperation Assistant Commissioner (Forestry) Recruitment Rules, 1984

2305 G/H/11-3

and Ministry of Environment and Forests Group 'B' (Forestry) Officers Recruitment Rules, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commissioner (Forestry), Technical Officer (Forestry) Gr. I, Technical Officer (Forestry) Grade., II and Research Investigator (Forestry) in the Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Technical Posts (Forestry), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed thereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of the post | Classification | Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale | Whether selection or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|--|---|---|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Assistant Commissioner (Forestry) | 1* (2011) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-3 Rs. 15600-39100, (Grade Pay of Rs. 6600) | Selection | Not applicable |
| Educational and other qualifications required for direct recruits | | | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | | Period of probation, if any |
| (7) | | | (8) | | (9) |
| Not applicable | | | Not applicable | | 2 years for promotees |

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)

(11)

By promotion, failing which by deputation including short-term contract

Promotion :

Technical Officer (Forestry) Grade-I in PB-2; Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800 with six years' regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date with effect from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations :—

- (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (B) Possessing the following educational qualifications and experience :—

Essential :

- (i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Forestry or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Mathematics (with Statistics) or Agriculture (with Statistics) or two years' Post-Graduate Diploma in Forestry Management from a recognized institute/university.
- (ii) Five years' experience of formulation and processing of various programmes relating to forestry or agriculture work.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre

(11)

post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not to ordinarily exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications].

Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| | |
|---|---|
| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests | —Member |
| 3. Director (Administration)/Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests | —Member |
| 4. Dy. Inspector General of Forests, Ministry of Environment and Forests | —Member |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|--|---|--|-----------|----------------|
| 2. Technical Officer (Forestry) Grade-I | 3* (2011) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-2, Rs. 9300-34800, (Grade Pay Rs. 4800) | Selection | Not applicable |
| (7) | Not applicable | (8) | Not applicable | (9) | Nil |

(10)

By promotion failing which by deputation including short-term contract

(11)

Promotion :

Technical Officer (Forestry) Grade-II in PB-2; Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600 with two years' regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations :—

- (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in in posts the parent cadre/Department; or
- (ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -2 Rs. 9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience :—

Essential :

- (i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Forestry or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Mathematics (with Statistics) or Agriculture (with Statistics) or two years' Post-Graduate Diploma in Forestry Management from a recognized institute/university.
- (ii) Three years' experience in collection or Compilation analysis of data including data in agriculture or forestry work.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(11)

Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests —Chairman
2. Director (Administration)/Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests —Member
3. Director (incharge of Indian Forest Service Division)/Deputy Secretary (incharge of Indian Forest Service Division) Ministry of Environment and Forests —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|---|---|--|-----------|---|
| 3. Technical Officer (Forestry) Grade-II | 15* (2011) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-2, Rs. 9300-34800, (Grade Pay Rs. 4600) | Selection | Not exceeding thirty years (Relaxable for Govt. Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) |

(7)

(8)

(9)

Essential :

Not applicable

Two years for direct recruits

- (i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Forestry or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Mathematics (with Statistics) or Agriculture (with Statistics) or two years' Post-Graduate Diploma in Forestry Management from a recognized institute/University.
- (ii) Two years' experience in Collection or compilation or analysis of data including data in Agriculture or forestry work.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribe, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(10)

(11)

40 % by promotion failing which by deputation including short-term contract 60% by direct recruitment

Promotion :

Research Investigator (Forestry) in PB-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/Universities/Recognized Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations :—

- (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -2 of Rs. 9300-34800+Grade Pay of Rs. 4200 or

(11)

equivalent in the parent cadre/department; and

- (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications].

Note : For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay /pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| | | (12) | (13) | | | |
|--|--|--|---|----------------|---|--|
| Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion confirmation):— | | | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointment officer on deputation (including short-term contract). | | | |
| 1. | Joint Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests | —Chairman | | | | |
| 2. | Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests | —Member | | | | |
| 3. | Director (incharge of Indian Forest Service Division) or Deputy Secretary (incharge of Indian Forest Service Division) Ministry of Environment and Forests | —Member | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 4. | Research Investigator (Forestry) 11* *Subject to variation dependent on workload. | General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-2, Rs. 9300-34800, (Grade Pay Rs. 4200) | Not applicable | Not exceeding thirty years (relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of | |

(6)

applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.)

(7)

(8)

(9)

Essential :

Not applicable

Two years for direct recruits.

- (i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Forestry or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Mathematics (with Statistics) or Agriculture (with Statistics) or two years' Post-Graduate Diploma in Forestry Management from a recognized institute/University.
- (ii) One years' experience in collection or compilation or analysis of data including data in Agriculture or forestry work.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribe, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(10)

(11)

By direct recruitment

Not applicable

Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of Central Government.

- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -1, Rs. 5200-20200

(10)

plus grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre/department; and

- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column.

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):—

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests —Chairman
2. Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment and Forests —Member
3. Director (incharge of Indian Forest Service Division) or Deputy Secretary (incharge of Indian Forest Service Division) Ministry of Environment and Forests —Member

[F.No. 12011/1/2009-P.I.]

MOHAN LAL WADHWANI, Under Secy.